

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेशयाम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक- २४ -९ -१८

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जयपुर के भवन निर्माण के अतिरिक्त चाहरदीवारी एवं फर्निचर हेतु रुपये 1,65,03,000/- (एक करोड़ पैंसठ लाख तीन हजार रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बाँका के पत्रांक-1390 (DHS), दिनांक-10.09.2018 से कटोरिया प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जयपुर के भवन निर्माण कराने का अनुरोध किया गया है। बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक-3301, दिनांक-02.12.2017 से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के साथ अन्य कार्य हेतु कुल रुपये 1,65,03,000/-का मॉडल प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। मॉडल प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जयपुर के भवन निर्माण के अतिरिक्त चाहरदीवारी एवं फर्निचर हेतु रुपये 1,65,03,000/- (एक करोड़ पैंसठ लाख तीन हजार रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

(2) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगा:-

- (i) भवन निर्माण का कार्य थाना नं०-202 / 172, खाता नं०-29, खेसरा नं०-186, 187, रकवा क्रमशः 0.71 डी० एवं 3.47 डी० कुल रकवा-4.18 डी० भूमि पर कराया जाएगा।
- (ii) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।
- (iii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।
- (iv) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।
- (v) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।
- (vi) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (vii) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0-20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0109-स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड-20-4210020510109, विषय शीर्ष-(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

(4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म संख्या-४६ में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी०एल० खाता संख्या-२४४ एवं विपत्र कोड-K8448001110002 में सुलभ करायेंगे।

(5) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतदसंबंधी डी०सी० विपत्र छः माह के अन्दर विभाग से अग्रसारित कराते हुए महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे।

(6) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-२५६१ वि०(२), दिनांक-१७.०४.९८, ८५४३ वि०(२), दिनांक-२७.११.२००७ एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

(7) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी।

(8) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(9) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-१०/अति०-०८-१२/२०१८ के पृष्ठ-३./टि० में प्राप्त है।

(11) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव।

/स्वा०, पटना, दिनांक:-२४-७-१४

ज्ञापांक:- ५४९ (१०)

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, भागलपुर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, बाँका/सिविल सर्जन, बाँका/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटोरिया (बाँका)/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशासन पदाधिकारी-१०/प्रशासन के अन्य सभी सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।